प्रेस नोट- थाना रोजा

जनपद शाहजहाँपुर

प्रेस नोट सराहनीय कार्य दिनांक- 22.12.24

थाना रोजा पुलिस एवं सर्विलांस टीम द्वारा चोरी की घटना कारित करने वाले 01 शातिर चोर को करीब 1.50 लाख रूपये के जेवरात के साथ गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से छः अदद पीली धातु कुल वजन 12 ग्राम व 11 अदद सफेद धातु कुल वजन 520 ग्राम व 4500 रूपये नकद बरामद की गयी।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर महोदय के निर्देशानुसार,पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के निर्देशन में व क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल प्रयवेक्षण मे वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम मे दिनांक 21.12.2024 को समय करीब 19.20 बजे थाना रोजा पुलिस एवं सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा ग्राम अटसलिया में चोरी की घटना कारित करने वाले अभियुक्त अभिषेक वर्मा उर्फ चुंगला पुत्र लक्ष्मण उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम अटसलिया थाना रोजा शाहजहाँपुर को अटसलिया ओवरब्रिज के नीचे से गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त की निशानदेही पर मु0अ0स0 750/24 धारा 305,331(4) BNS व मु0अ0सं0 684/24 धारा 305 बीएनएस का चोरी गया माल, जेवरात के साथ गिरफ्तार किया गया ।अभियुक्त के विरूद्ध अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया व घटना में फरार/वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीमें लगी हुई है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण: -

1. अभिषेक वर्मा उर्फ चुंगला पुत्र लक्ष्मण निवासी ग्राम अटसलिया थाना रोजा शाहजहाँपुर उम्र करीब 21 वर्ष

फरार /वांछित अभियुक्त : -

1. नाटी उर्फ कुलदीप पुत्र नरेश निवासी ग्राम अटसलिया थाना रोजा जनपद शाहजहाँपुर

पंजीकृत अभियोग : -

1.मु0अ0स0 750/24 धारा 305,331(4) BNS थाना रोजा शाहजहाँपुर
2. मु0अ0सं0 684/24 धारा 305 बीएनएस थाना रोजा शाहजहाँपुर

अपराधिक इतिहास :-

अभि0 अभिषेक वर्मा उर्फ चुंगला पुत्र लक्ष्मण निवासी ग्राम अटसलिया थाना रोजा शाहजहाँपुर
1.मु0अ0स0 750/24 धारा 305,331(4) BNS थाना रोजा शाहजहाँपुर
2. मु0अ0सं0 684/24 धारा 305 बीएनएस थाना रोजा शाहजहाँपुर

पूछताछ विवरण :-

पकड़े गये अभियुक्त ने बताया कि हमारे ही गाँव मे एक रेलवे कर्मी पवन कुमार का मकान करीब 15 दिन से खाली था वह हैदराबाद गये हुए थे। मैने तथा नाटी उर्फ कुलदीप पुत्र नरेश जो मेरे ही अटसलिया गांव का है उस मकान मे चोरी की योजना बनाई तथा दिनांक 07.12.2024 को हम दोनो मकान का ताला तोड़ रहे थे कि तभी पड़ोस मे आहट होने लगी तो हम चुपचाप वापस चले आये इसके बाद दिनांक 11.12.2024 की रात को हम दोनो ने दरवाजे का ताला लोहे की आरी से काटा और अन्दर घुस गये। अन्दर सेफ अलमारी का ताला तोड़कर सोने व चांदी का काफी सामान चुरा लिया तथा रात्रि मे ही गांव से दूर जंगल मे जाकर आपस मे बांट लिया। नाटी उर्फ कुलदीप 02 दिन पहले भाग गया। मकान मालिक हैदराबाद से आ गया था तो मै भी बाहर जा रहा था तभी पुलिस ने पकड़ लिया। अभियुक्त द्वारा यह भी बताया गया कि उसके द्वारा करीब डेढ़ माह पहले ग्राम कुआंभोझ मे भी नाटी उर्फ कुलदीप के साथ मिलकर रात्रि मे तीन घरो मे नकबजनी की थी लेकिन वहाँ हमे कोई सोना चांदी नही मिला, मात्र कुछ रूपये ही मिले थे। अटसलिया खाली पड़े मकान मे जेवरात होने की हमे जानकारी थी क्योंकि मकान मालिक पवन की पत्नी अक्सर शादी विवाह मे काफी जेवर पहन कर जाती थी। फरार अभियुक्त नाटी उर्फ कुलदीप की तलाश जारी है।

बरामदगी विवरण: -

1. छः अदद पीली धातु कुल वजन 12 ग्राम
2. 11 अदद सफेद धातु कुल वजन 520 ग्राम
3. 4500 रूपये नकद
4. समस्त बरामदगी कुल कीमत करीब 1.50 लाख रूपये

गिरफ्तारी का स्थान व समय : -

दिनांक 21.12.2024 को सुबह करीब 19.20 बजे अटसलिया ओवरब्रिज के नीचे से

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

थाना रोजा पुलिस टीम

1. **प्रभारी निरीक्षक राजीव कुमार**
2. उ0नि0 श्री राजेश कुमार
3. रि0उ0नि0 शुभम भारती
4. हे0का0 569 हरनाम सिंह
5. का0 2123 राजेश कुमार
6. का0 सचिन तोमर

सर्विलांस टीम

1. का0 शिवम कुमार
2. का0 प्रभात कुमार
3. का0 मुकुल कुमार
4. का0 सचिन कुमार